

नवभारत

संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन अब न्यायापालिका तक पहुंच गया है . लोकतंत्र में विरोध करना, सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों पर सवाल उठाना तथा अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करना राजनीतिक दलों का अधिकार है. लेकिन इस अधिकार की आड़ में न्यायपालिका को राजनीतिक विवादों का अखाड़ा बनाने की कोशिश उचित नहीं है . सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों का अंतिम प्रहरि है . उसकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा बनाए रखना सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है .

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत की गुरुवार को की गई टिप्पणी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है . मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के मुद्दे पर दाखिल 46 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट

सर्वोच्च अदालत को सियासत में न घसीटें

कहा कि न्यायपालिका को कोई धमका नहीं सकता . हम अलग-थलग (आइवरी टावर) में नहीं बैठे हैं . हमें पता है कि बाहर क्या बयान दिए जा रहे हैं और अदालत में क्या कहा जा रहा है . यह टिप्पणी बताती है कि न्यायपालिका सार्वजनिक विमर्श और अदालत में होने वाली गतिविधियों, दोनों से अनजान नहीं है . न्यायिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिशों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता . सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं . अदालत ने राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं से भी जवाब मांगा है . दरअसल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह भी समझना चाहिए

प्रमाणों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए . दूसरी ओर, आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच भी आवश्यक है . सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं .दरअसल,राजनीतिक दलों को समझना होगा कि न्यायपालिका में विश्वास लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है . अदालत के फैसले अनुकूल हों तो उनका स्वागत और प्रतिकूल हों तो संस्थान पर सवाल उठाना दोहरे मापदंड का संकेत है . न्यायपालिका की आलोचना भी तथ्यों और मर्यादों के दायरे में होनी चाहिए . एसआईआर पर विवाद का समाधान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया, ठोस तथ्यों और संवैधानिक संस्थाओं के बीच स्वस्थ संवाद से निकलेगा . सुप्रीम कोर्ट को सियासत में घसीटने के बजाय उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक परिपक्वता की असली कसौटी

# आंदोलन ‘मिशन’ अथवा ‘परमिशन’ ?

भारत में आंदोलन लोकतांत्रिक चेतना और राजनीतिक संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं. महात्मा गांधी के असहयोग, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर विभिन्न धरने, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल और आमरण अनशन तक, विरोध के अनेक स्वरूप लोकतंत्र को दिशा देते रहे हैं. लेकिन आज सवाल यह है कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य है? जिस व्यवस्था के निर्णय का विरोध करना है, उसी से विरोध की अनुमति मांगना कितना तर्कसंगत है? **आंदोलन का अधिकार और सीमा-** मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर कांकोरक जनता पार्टी, इंडिया गजबं धन, आप, एआईएनएफ, जेन-जी और सिविल सोसाइटी के विरोध प्रदर्शनों ने इस बहस को फिर प्रासंगिक बना दिया है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) औचित्यिक की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(बी) बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार देता है. हालांकि, अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. किसी कानून

“ अनुमति नहीं, सूचना देना जरूरी . ”

मूल प्रश्न खड़ा होता है . जब आंदोलन का उद्देश्य ही सरकार के निर्णय या अनिर्णय का विरोध करना है, तो उसी सरकार से अनुमति मांगने की बाध्दता कितनी उचित है? क्या सरकार अपने विरोध की सीमा स्वयं तय करेगी? क्या वह यह निर्धारित करेगी कि उसके विरुद्ध कितने लोग कहां एकत्र होंगे, कितनी देर बैठेंगे, कितने नारे लगाए और कितनी आवाज उठाएंगे? तब फिर आंदोलन के मौलिक संवैधानिक अधिकार का औचित्य क्या रह जाएगा?

या सरकारी नीति का विरोध करना और उसका उल्लंघन करना अलग-अलग बातें हैं. बदलाव की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार है, जबकि लागू कानून तोड़ने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं. संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में संविधान और कानूनों का सम्मान शामिल है. वहीं, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा रहे हैं. **सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया-** सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न फैसलों में आंदोलन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन पर जोर दिया है. हिमतलाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद (1973) में सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं के नियमन और नागरिकों के

अधिकारों पर विचार किया गया. रामलीला मैदान प्रकरण (2012) में पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता और उसके औचित्य का प्रश्न उठा. मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार (2018) में प्रदर्शन के अधिकार और उसके नियमन पर विचार हुआ. वहीं, अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) यानी शाहीन बाग मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों पर अतिरिक्तकालीन कब्जे से आम नागरिकों की आवाजही बाधित नहीं की जा सकती. इन फैसलों का संदेश है कि आंदोलन मौलिक अधिकार है, लेकिन असीमित नहीं. प्रशासन उचित नियमन कर सकता है, मगर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकता जिससे विरोध की गुंजाइश ही समाप्त हो जाए. आंदोलनकारियों को भी आम

## निष्कर्ष : मिशन बड़ा या परमिशन ?

आंदोलन ‘मिशन’ है, ‘परमिशन’ नहीं. क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सरकार की मेहरबानी नहीं, संविधान की गारंटी है. ‘डिवटेरशिप’, ‘डेमोक्रेसी’ के बीच अंतर की ‘लक्ष्मण रेखा’ ‘डिमॉन्स्ट्रेशन’ है.

# UPI को आगे भी नि:शुल्क रखा जाए

सरकार ने त्योहारों को देखते हुए फिलहाल एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) टाल दिया है, लेकिन जनभावना यही है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान को आगे भी मुफ्त रखा जाए. पिछले 6 वर्षों से यह भुगतान का आसान, सुरक्षित और लोकप्रिय तरीका रहा है. इस वित्ता वर्ष में 55.5 करोड़ भारतीयों ने यूपीआई से 314 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन किया. यद्यपि सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये के ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत का शुल्क ग्राहक या उपभोक्ता को नहीं देना पड़ेगा. यह दूकानदार या व्यापारी की जिम्मेदारी होगी फिर भी माना जाता है कि दूकानदार लागत बढ़ाकर इसे ग्राहक के मध्ये मारेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि इस शुल्क को टालने के लिए बिल की रकम विभाजित कर दी जाए और कोई भी बिल 2000 रुपये से कम का बनाया जाए. लोग एक की बजाय 2 या 3 बिल बनवाएं. एमडीआर से बचने के लिए लोग छोटा-मोटा भुगतान यूपीआई से करते रहेंगे लेकिन बड़ा लेन-देन

क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करेंगे. कुछ लोग अपने वेतन की अधिकांश रकम बैंक से निकालकर नकद भुगतान के लिए रख लेंगे. सरकार ने भी इन पहलुओं के बारे में अवश्य सोचा होगा. अगस्त 2026 में 2450.9 करोड़ सौदे यूपीआई से हुए जिनमें 29.82 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. सरकार का तर्क है कि उसे यूपीआई की सुरक्षा, सिस्टम के विस्तार तथा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था के लिए एमडीआर लागू करना जरूरी है. व्यापारी वर्ग इसके विरोध के लिए एकजुट हो गया है. सरकार चाहे तो बैंकों और पेमेंट एप्स से इसकी लागत में अंशदान के लिए कह सकती है. यूपीआई की वजह से बैंकों को कैश संभालने व नकद रकम लाने ले जाने की जरूरत काफी कम हो गई है. पेमेंट एप्स के पास ग्राहक का डाटा भी रहता है, जिसे वह वित्तीय उत्पाद बेच सकते हैं. इस तरह उनकी लागत वसूल हो सकती है. सरकार कोई विकल्प खोजकर यूपीआई की सुविधा हमेशा के लिए निशुल्क रखे.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर

12411

- डॉ. सागर खादीवाला

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  |    |    | 8  |    |    |
|    |    | 9  | 10 |    | 11 |
| 12 |    |    |    |    |    |
|    | 15 | 16 | 17 | 18 |    |
| 19 |    | 20 |    |    |    |
| 21 |    |    | 22 |    |    |

ऊपर से नीचे

1. एक बड़ा पक्षी जिसकी गर्दन ऊंट के समान होती है 2. अल्प, थोड़ा 4. मित्र, दोस्त, हर समय का साथी 5. एक आख का, एकाक्ष 6. पार लगाना, डबूते हुए को बचाना 9. कष्ट अथवा सजा देने की क्रिया या भाव 10. वाद्य यंत्र, बाजा, औजार (उर्दू) 11. आवरण हटाना, जारी करना 14. विदूषक, परिहास करने वाला 15. असीम, अतिशय 16. हाथ का छाप, पूजा का चंदा, सांचा 17. सुंदर स्त्री, जीभ 18. विश्वास, एतबार 19. चित्र ग्रंथ वास्तु आदि के रूप में बनाई हुई वस्तु, कोई अच्छा काम

वाएं से दाएं

1. तोता, सुगा (सं.) 3. सहयोग, सहायता, मदद 7. 'नू' शब्द का बहुवचन रूप 8. निषिद्ध, वर्जित 9. देवता - गुरुजन आदि को देने पर बची हुई वस्तु जो काम में लाई जाए, अग्रहूण 11. गंवाना, भूल के कोई वस्तु गिरा पर छोड़ देना 12. इस मलिका को याद में ताजमहल बनाया गया था 13. किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाला शब्द, संज्ञा 15. यतीम खाना 19. दया, अनुग्रह, मेहरबानी 20. एक प्रकार की सवारी जिसे कहार लेकर चलते हैं 21. टेढ़ा, वक्र, जो सोधा न हो 22. सास का पिता

Solution 12410

|    |    |    |     |    |    |    |
|----|----|----|-----|----|----|----|
| पू | वं | ज  | न्य | मु | र  | लो |
| छ  | ब  |    | अ   | हा |    | न  |
| ता | म  | झा | ध   | व  | ल  |    |
| छ  | म  |    | अ   | म  | रा | व  |
|    | ता | न  | पू  | रा | ली | ती |
| उ  | क  | ण  |     | रो | न  | क  |
| फा | र  | सी | गो  | रा |    | ठि |
| न  | ग  | र  |     | द  | ना | द  |

## ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य लाभ का योग है. वर्ष के मध्य में स्थिति सामान्य रहेगी। धार्मिक कार्यों में संलग्नता रहेगी. वर्ष के अन्त में शत्रु पक्ष से कष्ट होगा. चिन्ता रहेगी। मित्रों के कारण व्यवधान आ सकता है. व्यर्थ के वाद विवाद से व्यय में वृद्धि होगी। मेघ और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को पद का लाभ प्राप्त होगा. सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को शत्रु पक्ष से कष्ट होगा. प्रमति का योग है. सिंह राशि के व्यक्तियों को कार्य एवं धार्मिक कार्यों में लगना होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को कार्य श्रम होगा, सफलता मिलेगी. मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को मित्रों के कारण कार्य में मदद मिलेगी. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को व्यवधान आ सकता है, मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को संयमित होकर कार्य करने में मदद मिलेगी।

मे़ष-

नए कार्य के लिये जरूरी धन मिलेगा, पारिवारिक वातावरण शशांतिपूर्ण रहेगा, मानसिक प्रसन्नता रहेगी,

वृ़षभ-

विधास प्राप्त व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी।

मिथुन-

साझेदारी में कोई बड़ी योजना शुरू कर सकते हैं, मन में संतोष रहेगा, आय के बारी प्रशस्त रहेंगे।

कर्क-

गीती बातों को याद करने से दुख होगा, मानसिक अस्थिरता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सिंह-

सुझबुझ से बढ़ें, सफलता मिलेगी, युवावर्ग को कैरियर में प्रस्ताव मिलेगा, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी.

कन्या-

राजकीय व्यक्ति मामलों में पक्ष मजबूत होगा, शत्रुओं पर विजय के प्रयासों में सफलता का योग है।

तुला-

आज का दिन शुभ एवं अनुकूल रहेगा, अधिकारी आपकी बात से सहमत रहेंगे।

वृश्चिक-

प्रयासों में सफलता मिलेगी, परिजनों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, निजी कार्य से दूर दराज की यात्रा होगी.

धनु-

अवानक नये कामकाज सामने आ सकते हैं, मन में संतोष रहेगा, निजी कार्य अधूरे रह सकते हैं।

मकर-

अनहोनी का भय बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, प्रवास में मनोरंजन आदि के अवसर आएंगे।

कुम्भ-

कुटुम्बियों से सहयोग मिलेगा,दिन के उत्तरार्ध में स्वयं की गलती से नुकसान होगा, सावधानी रखें।

मीन-

आय के नये स्रोत बनेंगे, प्रशिक्षा में वृद्धि होगी, नौकर चाकरों का सुख सहयोग मिलेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक हंसमुख, मिलनसार, होगा, खेलकूद में अच्छी रुचि रहेगी, स्वास्थ्य साधारण रहेगा, बचपन में आकस्मिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है, विद्या के प्रति लगनशील होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भूमि भवन खनिज आदि में रुचि रहेगी, जीवनसाथी का सहयोग रहेगा .

उदयकालीन ग्रह चाल

|    |                  |     |       |   |
|----|------------------|-----|-------|---|
| 8  |                  | 6   |       | 5 |
| 9  | के.7 सू. चं. शु. | कु. |       |   |
|    | 10 रा.           |     | 4     |   |
| 11 |                  | 1   | मं. 3 |   |
|    | 12 गु.           |     | 2     |   |

पंचांग

रा.मि. 25 संवत् 2083 आश्विन शुक्ल सप्तमी शनिवासरै रात 5/53, मूल नक्षत्रे दिन 8/58, अतिगण्ड योगे रात 11/7, गर करणे सू.उ. 6/17, सू.अ. 5/43, चन्द्रचार धनु, शु.रा. 9,11,12,3,5,7 अ.रा. 10,1,2,4,6,8 शुभांक- 2,4,8.

व्यापार भविष्य

आश्विन शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र के प्रभाव से जौ, गेहूं, चना, चावल, के भावों में मंदी का योग है, जिरा, धनियां, में घट-बढ़ रहेगी, वायदा विचार आज 12 बजकर 50 मिनट से 20 मिनट का रूख पर चाल बनेगी, पीली, वस्तुओं में तेजी होगी, भाग्यांक 4144 है.

अपनाना था. वह इसे 'माय डीयर सिस्टर स्कीम' के नाम से चला सकते हैं. बहना न कहकर इसे मैरिलाना योजना कह सकते हैं. वह नीतीश कुमार से भी सीख सकते हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले स्वरोजगार के नाम

### निशानेबाज

# ट्रंप ने सीखी भारत से खैरात देंगे 5,000 डॉलर की सौगात

पर राज्य की हर महिला के खाते में 10,000 रुपये की रकम जमा करवाई थी. तमिलनाडु में जयललिता ने अम्मा योजनाएं चलाई थी. फ्रिज, टीवी, वाशिंग मशीन बंटवाए थे. डीएमके ने भी ऐसी ही गिफ्ट बांटी थी. अब खैराती योजनाएं लोकतंत्र का आधार बना दी गई हैं. पार्टियों के बीच वोट खरीदने की प्रतिस्पर्धा चलती है.' हमने कहा, 'आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय अवतारी पुरुष ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो विदेश में जमा काला धन वापस लाकर हर भारतवासी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपये जमा कर देंगे. लोगों ने भरोसा करके भाजपा को जिता दिया. बाद में यह वादा याद दिलाने पर अमित शाह ने कहा कि यह तो 'चुनावी जुमला' था. अब बताइए कि क्या ट्रंप भी आगे चलकर इसी तरह 5,000 डॉलर के वादे से मुकर जाएंगे?' पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, ट्रंप ने कहा कि विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने से हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आया है. हम इसे 'ट्रंप डिविडेंड' के नाम से लोगों को देंगे.'

### मध्य क्षेत्र की डायरी

## आदिवासियों की जमीन पर राजनीति की फसल

# कोसमी में बेदखली से खुली सत्ता-संगठन की खटपट

संदीप चंसीरिया

हटाने की कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकारी फाइलों में दर्ज जमीन और उस पर पीढियों से जीवन गुजारने वाले लोगों के दावों के बीच की दूरी कितनी विस्फोटक हो सकती है. वन विभाग की कार्रवाई में आदिवासी परिवारों के घर रहाए गए, फसलें नष्ट हुईं और कुएं को नुकसान पहुंचा. विभाग का दावा है कि वनभूमि पर अतिक्रमण हटाया गया, जबकि प्रभावित परिवार अपनी जमीन पर अधिकार और दस्तावेज होने की बात कह रहे हैं. ऐसे विवाद में कानून का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि कार्रवाई से पहले दावों की निष्पक्ष जांच और प्रभावितों के पुनर्वास जैसे सवालों का जवाब हो. लेकिन कोसमी का मामला केवल वनभूमि और अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहा. यह उस समय राजनीतिक सवाल बन गया, जब केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद धरने पर पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई और यहां तक कहा कि इन्हीं गरीब आदिवासियों के वोट से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं. यह पीड़ा की अभिव्यक्ति थी या राजनीतिक संदेश, इसका उत्तर उनके मन में हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसका असर साफ दिखा. एक केंद्रीय मंत्री अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर रहा था और मुख्यमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा. शिवराज के बेटे कार्तिकेय का धरनास्थल पर पहुंचना और आदिवासियों के साथ खड़े होने का भरोसा देना इस घटनाक्रम को और राजनीतिक बना गया. उधर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच का भरोसा दिया, लेकिन प्रशासनिक रिपोर्ट में जमीन को वनभूमि बताए जाने से विवाद खत्म नहीं हुआ. आदिवासी पैदल मार्च पर निकल पड़े.

### शासन के भरोसे पर सवाल

शिवराज का हस्तक्षेप आदिवासियों के लिए आवाज बना, लेकिन साथ ही उसने सत्ता और संगठन के अधिकारक्षेत्रों पर भी सवाल खड़े किए . जब किसी जनसमस्या का समाधान प्रशासनिक प्रक्रिया से पहले बड़े नेताओं के हस्तक्षेप और आपसी शक्ति संतुलन पर निर्भर दिखने लगे, तो शासन की विश्वसनीयता कमजोर होती है . राजनीतिक नेतृत्व की लोकप्रियता बचाने की चिंता में यदि गरीबों का दुख भी राजनीतिक पूंजी बनने लगे, तो यह और गंभीर स्थिति है . कोसमी का असली सवाल यह नहीं कि किस नेता की बात मानी गई या किसकी चली . सवाल यह है कि जिन परिवारों के घर उजड़े, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा . सरकार को जमीन के कानूनी रिकॉर्ड, आदिवासियों के दावों और कार्रवाई की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए .

आखिरकार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मध्यस्थता में शिवराज, मुख्यमंत्री और आदिवासी प्रतिनिधियों के बीच मुख्यमंत्री आवास पर करीब एक घंटे तक चर्चा हुई. सरकार ने भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. सवाल यही है कि गरीब परिवारों को न्याय का भरोसा देने के लिए इतनी लंबी राजनीतिक और प्रशासनिक कवायद क्यों करनी पड़ी? क्या स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों की स्थिति, उनके दावों और पुनर्वास की जरूरत का आकलन नहीं करना चाहिए था? और यदि कार्रवाई नियमानुसार थी, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराना थी, या बेघर हुए परिवारों की समस्या का समाधान भी उसका दायित्व था?

### पोस्टर से हत्यारे को कब तक पकड़ेंगी पुलिस ?

राजधानी भोपाल में रिटायर्ड आईएसएस राकेश अग्रवाल की हत्या को 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं. जिस वरुण को कुछ दिन पहले ही केयरटेकर बनाकर घर में रखा गया था, वही हत्या का मुख्य संदिग्ध है और पुलिस की पकड़ से बाहर है. चार राज्यों में तलाश, सौ से ज्यादा लोगों से पूछाछा, आगरा-वृंदावन मार्ग पर पोस्टर और 50 हजार रुपये का इनाम- पुलिस की इस कवायद का नतीजा अब तक शून्य है. यह सिर्फ एक हत्या की गुर्यी नहीं, राजधानी की पुलिसिंग की परीक्षा भी है. सवाल है कि जब एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, तो आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? केयरटेकर खंने वाली एजेंसी पर पुलिस सत्यापन नहीं कराने का मामला दर्ज होना व्यवस्था की एक और गंभीर चूक दिखाता है. आखिर बिना सत्यापन लोग घरों में कैसे पहुंच रहे हैं और वारदात के बाद जिम्मेदारी किसकी तय होगी? पुलिस की टीमें दौड़ रही हैं, पोस्टर छप रहे हैं, इनाम घोषित है, लेकिन जनता को कार्रवाई का परिणाम चाहिए, अभियान का ब्योरा नहीं.